न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 365/2023

नन्हके, आयु करीब 29 वर्ष, पुत्र स्व0 कर्ताराम सोनकर, निवासिनी ग्राम महुआडीह, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा।

.... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .... अभियोजन।

दिनांक–22.02.2023

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त नन्हके की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–23/2023, अन्तर्गत धारा–60, 60(2) आबकारी अधि0 व धारा 272 भा0दं0सं0, थाना–मनकापुर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अभियुक्ता के पैरोकार जगराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप निरीक्षक अमर सिंह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 13.01.2023 को सह अभियुक्ता श्रीमती मझिला व वर्तमान अभियुक्त नन्हके को ग्राम महुआडीह से उनके घर के बरामदे से कच्ची शराब का निष्कर्षण करते एवं उनके संयुक्त कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 300 ग्राम नौसादर एवं शराब बनाने के उपकरण के साथ पकड़ा गया, जिसकी सूचना पर थाना मनकापुर में अभियुक्ता श्रीमती मझिला व नन्हके के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 60, 60(2) आबकारी अधि0 व धारा 272 भा0दं0सं0 दर्ज की गई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। सह अभियुक्ता श्रीमती मझिला की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। फर्जी बरामदगी दिखाकर उसका चालान किया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि वर्तमान अभियुक्त व सह अभियुक्ता के संयुक्त कब्जे के पास से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, यूरिया, नौसादर एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। वर्तमान अभियुक्त एवं सह अभियुक्ता के संयुक्त कब्जे से कथित 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 300 ग्राम नौसादर एवं शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी दिखाई गई है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित बरामद शराब के अपायकर होने अथवा उसमें यूरिया अथवा नौसादर की मिलावट के सम्बन्ध में कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। सह अभियुक्ता श्रीमती मंझिला की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का मामला सह अभियुक्त से भिन्न नहीं है। अभियुक्त दिनांक 13.01.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अत्एव मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त नन्हके का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नन्हके** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–23/2023, अन्तर्गत धारा–60, 60(2) आबकारी अधि0 व धारा 272 भा0दं0सं0, थाना–मनकापुर, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–**365/2023** स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

दिनांक–22.02.2023

Digitally signed by BRAJENDRA MANI TRIPATHI
Date: 2023.02.22 16:58:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court